राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्र.सं. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या	सम्बन्धित अपील संख्या
1. 32 / 2007 / पाली	220 / 2007 / पाली
2. 33 / 2007 / पाली	221 / 2007 / पाली
3. 34 / 2007 / पाली	222 / 2007 / पाली

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त पाली ....प्रार्थी.

बनाम

मैसर्स चौधरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, पाली .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ

श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक ......राजस्व की ओर से

...... अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

संशोधन निर्णय दिनांक : 08 / 11 / 2017

संशोधन आदेश

प्रार्थी राजस्व द्वारा ये परिशोधन प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या क्रमशः 220 / 2007 से 222 / 2007 / पाली में खण्डपीठ द्वारा पारित संयुक्त निर्णय आदेश दिनांक 13.01.2017 में वास्ते संशोधन प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थी उप–राजकीय अभिभाषक ने बताया कि राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 220 से 222 / 2007 / पाली में पारित आदेश में टंकण की त्रुटि से फर्म का नाम मैसर्स चौधरी कन्स्ट्रक्शन के आगे कम्पनी नहीं लिखा गया एवं वित्तिय वर्ष "2004–05 से 2006–07" लिपिकीय भूल से टंकित हो गई है, जबकि वे वित्तिय वर्ष 2002–03 से 2004–05 थे।

प्रार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत तीनों रेक्टीफिकेशन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करते हुए पूर्व में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 220 से 222 / 2007 / पाली में पारित आदेश दिनांक 13.01.2017 में फर्म का नाम मैसर्स चौधरी कन्स्ट्रक्शन, पाली के स्थान पर "**मैसर्स चौधरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, पाली**" एवं वित्तिय वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 के स्थान पर वित्तिय वर्ष "**2002–03, 2003–04 एवं 2004–05**" पढ़ा जावे।

आदेश में मांग संबंधी तालिका के स्थान पर संशोधित तालिका निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	आदेश दिनांक	वर्ष	मांग राशि
1-	29-11-2005	2002-03	11,46,273
2-	29-11-2005	2003-04	8,95,596
3-	30-11-2005	2004-05	1,74,194

उक्तानुसार आदेश संशोधित किया जाता है।

(के. एल.जैन)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष